



2026:AHC-LKO:377-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 509 सन 2025

रमा कांत तिवारी

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा प्रबंध निदेशक लखनऊ एवं
2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	दिनेश कुमार त्रिपाठी
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शिशिर जैन

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

(सी.एम. आवेदन संख्या 1 / 2025)

1. यह अपील दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करने के लिए आवेदन है।
2. सुनवाई हुई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. अपील दाखिल करने में 58 दिनों का विलंब हुआ है। प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं ने विलंब को माफ करने के अनुरोध पर मौखिक आपत्ति जताई है।

4. हमने विलंब को माफ करने के आवेदन के समर्थन में दाखिल किए गए शपथ-पत्र का अवलोकन किया है और पाया है कि उसमें दिए गए कारण पर्याप्त हैं। इसलिए, हम विलंब को माफ करते हैं, जो अत्यधिक नहीं है। आवेदन को तदनुसार, अनुमति दी जाती है।

(अपील के ज्ञापन पर आदेश)

5. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा 1985 में सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और एक सेवा पुस्तिका भी तैयार की गई थी, लेकिन कुछ समय बाद वह सेवा पुस्तिका गुम हो गई। परिणामस्वरूप, वर्ष 2009 में एक नई सेवा पुस्तिका तैयार की गई और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि 08.02.1964 दर्ज की गई थी। उक्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बारे में पूछे जाने पर, प्रतिवादी-निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री शिशिर जैन ने बताया कि बाद में वह प्रमाण-पत्र भी गुम हो गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादियों के अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न दस्तावेजों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिनमें जन्म तिथि 15.02.1966 बताई गई है। ऐसे कई दस्तावेज हैं, जिनमें से कुछ कर्मचारी के मास्टर डेटा से संबंधित हैं और उनमें उक्त तिथि का उल्लेख है। वहीं, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने अन्य दस्तावेजों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिनमें जन्म तिथि 08.02.1964 बताई गई है। इसी कारण से विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह राय दी है कि तथ्य के विवादित प्रश्न हैं, जिन पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विचार नहीं किया जा सकता।

6. हमने आक्षेपित निर्णय का अध्ययन किया है और यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों की ओर से भी कुछ त्रुटि हुई है, लेकिन इस संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 1985 में अपीलकर्ता-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ता की नियुक्ति के समय प्रारंभिक सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि क्या दर्ज थी और 2009 में तैयार की गई बाद की सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि 08.02.1964 क्यों दर्ज है। केवल इसी आधार पर हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि वास्तव में जन्म तिथि क्या थी जिसके आधार पर अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा (2022) 6 एससीसी 211 में प्रकाशित 'शंकर लाल बनाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और अन्य' के निर्णय पर भरोसा करना अनुचित है, क्योंकि यहां यह स्पष्ट नहीं है कि प्रारंभिक सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि क्या दर्ज थी, जिसकी प्रति उपलब्ध नहीं है। बाद की सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि दर्ज करने का आधार, अर्थात् प्रतिवादियों द्वारा दावा किया गया चिकित्सा प्रमाण-पत्र और बाद की सेवा पुस्तिका की छायाप्रति में उल्लिखित प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। विभिन्न दस्तावेजों में अलग-अलग जन्म तिथियां दर्ज हैं, जिनमें से कुछ पर अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता और संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। इस स्थिति में, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं दिखती, क्योंकि निश्चित रूप से ये तथ्य के विवादित प्रश्न हैं। यदि कोई उपाय उपलब्ध हो, तो अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता सिविल न्यायालय या उत्तर प्रदेश लोक सेवा (न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1976 के तहत गठित लोक सेवा न्यायाधिकरण के समक्ष, जैसा भी मामला हो, उपाय कर सकता है।

7. उपरोक्त के अधीन, अपील **खारिज** की जाती है।

[न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

जनवरी 6, 2026

शान्/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।